

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़वण्डर सीमेंट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी बनाम कमलेश वगैराहकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (रे.वि.) नं० **122** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। अधिवक्ता प्रार्थी ने पूर्व प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात की वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं होने से कम्पनी उक्त प्रार्थना-पत्र पर वर्तमान में मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं कराना चाहती है, इसलिये उक्त प्रार्थना-पत्र को वापस (विद्रो) लेना चाहती है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में कम्पनी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसलिये उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर वापस (विद्रो) किया जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली है, रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील अप्रार्थीगण को पूर्व में दिलवाई जा चुकी है। हाजिर वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत् कोई उज्र नहीं होना जाहिर किया। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्रो को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्रो का चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना-पत्र नहीं चलाना चाहती है, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्रो को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, फलत् अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् कार्यवाही विद्रो को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-S/d-  
(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर,  
चित्तौड़गढ़  
16.08.2023